


मीनसिद्ध
कलकत्ता
10-7-19

10-7-19 वादी मजदूर वकील उपस्थित। वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं वाद खारिज किया जावे। वादी के प्रार्थनापत्र के आधार पर दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावलोकन के लिये नुमांदा होकर नम्बर रिकवर्ड होकर दाखील दफ्तर हो।



अंजुराम
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना